# जांच पेंडिंग, फिर भी एमसीएफ के आरोपी एसई और एई बहाल

## ओल्ड फरीदाबाद में 30 की जगह 80 बेड के अस्पताल का एस्टीमेट बनाने का आरोप

**मजदूर मोर्चा ब्यूरो**

**फरीदाबाद:** नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) में घोटाले और काम में लापरवाही के आरोपी अफसर बहाल हो गए हैं। हालांकि इनके खिलाफ जांच अभी लम्बित है। मजदूर मोर्चा ने इस संबंध में हाल ही में प्रकाशित खबर में स्पष्ट तौर पर बताया था कि इन घोटालेबाज अफसरों को बहाल करने की पूरी तैयारी है। लेकिन खबर छपने के बाद यह खानापूरी धीमी हो गई लेकिन कोरोनाकाल में इन्हें बहाल करने का मौका तलाश लिया गया। इसके अलावा फर्जी डिग्री के सहारे प्लानिंग विभाग में कार्य कर रहा एक रिटायर्ड एसटीपी भी काम पर लौट आया है। समझा जाता है कि उसका कार्यकाल फिर से बढ़ गया है।

**पुराना काम तो नहीं मिलेगा**

एमसीएफ के ओल्ड जोन में तैनात एसई ओमवीर सिंह और एई राज कुमार को आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ 11 फरवरी 2021 को निलम्बित कर दिया गया था। निलम्बन अवधि में इन्हें पंचकुला दफ्तर से अटैच कर दिया गया था। लेकिन हरियाणा सरकार में अर्बन लोकल बॉडीज के अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी एस.एन. रॉय ने 2 जून 2021 को दोनों को बहाल कर दिया। इनकी बहाली आदेश में कहा गया है कि इनके पास जो पिछला काम था, वो इन दोनों को नहीं दिया जाए। इन्हें किस जोन में अब तैनात किया जाएगा, इसका फैसला अब कमिश्नर गरिमा मित्तल करेंगी।

**क्या था पूरा मामला**

ओल्ड फरीदाबाद में थाने के सामने नगर निगम की जमीन पर 30 बेड का

अस्पताल बनना है। आरोप है कि इन दोनों अधिकारियों ने तीस बेड की जगह 80 बेड के अस्पताल की मंजूरी हासिल कर ली। हालांकि इस संबंध में हकीकत ये है कि अफसरों ने ही शहरी निकाय के कंसलटेंट के जरिए 30 की जगह 80 बेड के अस्पताल का प्रस्ताव भेजा। जिसकी फाइल कई अफसरों की मेज से गुजरकर सरकार के पास पहुंची और उसने 80 बेड के अस्पताल की मंजूरी दे दी। लेकिन बाद में चंडीगढ़ में बैठे अफसरों को होश आया कि सीएम ने तीस बेड के अस्पताल की घोषणा की थी। इसके बाद इन दोनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया।

**जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं**

एसई ओमवीर सिंह के पास पैसे और रसूख की कमी नहीं है। सूत्रों ने बताया कि एसई ओमवीर सिंह ने अपने संपर्कों के दम पर सीधे सीएम आफिस की शरण ली थी। इसका नतीजा यह निकला कि सीएम दफ्तर ने अस्पताल स्कैम में सीधे हस्तक्षेप करते हुए शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया कि इस मामले में एक जांच कमेटी बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट पर फैसला लेने से पहले इन अफसरों के खिलाफ कोई चार्जशीट न पेश की जाए।

सीएम दफ्तर की तरफ से ही पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर राकेश मनोचा के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई। जिसमें एमसीएफ के अफसर भी शामिल किए गए। उसमें प्रमुख नाम मौजूदा चीफ इंजीनियर रामजी लाल का भी है। कुल आठ लोगों की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी लेकिन उस रिपोर्ट में क्या है, उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। समझा जाता है कि जांच रिपोर्ट में इन दोनों अफसरों को बचाने की कोशिश की गई है।

लोकल बॉडीज और नगर निगम का स्पष्ट नियम यह है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को निलंबित किए जाने के एक महीने के अंदर अगर चार्जशीट नहीं दी जाती है तो उसे बहाल करना पड़ता है। अगर सरकार या विभाग बहाल नहीं करता है तो वह अधिकारी या कर्मचारी अदालत जाकर इस नियम का हवाला देकर अपनी बहाली का आदेश ले आता है। ऐसे कांड हरियाणा के कई सरकारी विभागों में हो चुके हैं।

**15 ने फाइल देखी, सस्पेंड 2 ही क्यों**

ओल्ड फरीदाबाद में 30 बेड के अस्पताल की घोषणा 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। इसके बाद आचार संहिता लग गई। खट्टर सरकार फिर से सत्ता में आ गई और उसे एक साल से ज्यादा समय भी हो चुका है। आखिर सरकार को दो साल बाद ही यह क्यों समझ में आया कि वहां तो 80 बेड की जगह 30 बेड का अस्पताल बनना था। सूत्रों का कहना है कि शहरी विकास विभाग के मुख्यालय में बैठे अधिकारी और कर्मचारी इन दिनों तमाम फाइलें तलाश कर उसमें कमियां निकाल रहे हैं। फिर उन पर एक्शन होता है और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी चंडीगढ़ में सीधे सीएम दफ्तर में पहुंच बनाकर अपनी बहाली का जुगाड़ निकाल लेता है।

**यह एक तरह का खेल है जो बहुत सुनियोजित ढंग से खेला जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर जनता में संदेश भेजा जाता है कि खट्टर सरकार बहुत सख्त है। लेकिन फिर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से मोटी रकम लेकर बहाल कर दिया जाता है। यह हैरानी की बात है कि फरीदाबाद में अस्पताल स्कैम की फाइल कम से कम 15 अफसरों से होकर गुजरी और एक्शन मात्र तीन पर ही हुआ था।**

## महिपाल काम करता दिखा!

एमसीएफ में रिटायर होने के बाद अनुबंध पर काम कर रहे सीनियर टाउन प्लानर महिपाल सिंह को एक और सेवा विस्तार मिल गया है। उसे पिछले कई दिनों से एमसीएफ दफ्तर में काम करते हुए देखा जा रहा है। हालांकि उसके सेवा विस्तार के आदेश को अभी तक किसी अफसर ने देखा नहीं है लेकिन समझा जाता है कि वह शहरी निकाय विभाग में अपने संपर्कों के दम पर आदेश को सीधे लाया और कमिश्नर गरिमा मित्तल के कार्यालय में जमा कराकर काम शुरू कर दिया। कमिश्नर दफ्तर में सेटिंग होने के कारण उसके आदेश की किसी को भनक नहीं है।

महिपाल का पिछला सेवा विस्तार 30 अप्रैल को खत्म हो गया था। भाजपा के सारे विधायकों और केंद्रीय मंत्री ने इसके सेवा विस्तार के लिए कोशिश की थी। हालांकि महिपाल एमसीएफ में तमाम आरोपों में घिरा रहा है। चंडीगढ़ मुख्यालय पहुंची शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि मेट्रिक पास महिपाल सिंह ने आईटीआई से एक साल का ड्राफ्टमेन का कोर्स कर रखा है ऐसे में यह शख्स कैसे सीनियर टाउन प्लानर पद तक पहुंचा, इस रहस्य को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि इसी शैक्षणिक योग्यता के दम पर महिपाल को प्रमोशन भी मिलता रहा है।

# कामचोर डिप्टी सीएमओ बोला- जनता को होने वाली दिक्कत की जिम्मेवार खुद जनता है

**फरीदाबाद ( ममो ):** कोरोना वैक्सीन की मारामारी के अलावा कई और दुश्वारियाँ सरकार के निकम्मेपन के कारण जनता को भोगनी पड़ रही है। 80 वर्ष के बुजुर्ग शिव नारायण, शरद नारायण 64 वर्ष और 62 वर्षीय बुजुर्ग प्रभात बसंत ने कोविशील्ड की अपनी दूसरी डोज 23.4.2021 को मॉडल स्कूल सेक्टर 17 फरीदाबाद में लगवाई जिसके सर्टिफिकेट का इंतजार वे आज तक कर रहे हैं। शरद नारायण की बेटी कनाडा में रहती है और उन्हे इसी माह कनाडा जाना है। इसी प्रकार बसंत पेशे से प्रोफेसर हैं और अपने पढ़ाई के काम से ही उन्हे भी विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। कोरोना महामारी के कारण सभी देशों ने भारत से आने वाले लोगों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे होनी की शर्त रखी है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने के बाद भी उसका सर्टिफिकेट जारी करने में बीके अस्पताल न केवल कोताही बरत रहा है बल्कि सर्टिफिकेट मांगने वालों से खुद अस्पताल का डिप्टी सीएमओ राजेश श्योकन्द बदतमीजी भी कर रहे हैं।

बृहस्पतिवार को जब मजदूर मोर्चा ने कहीं से ठीक जानकारी न मिल पाने के कारण राजेश श्योकन्द को फोन किया तो उन्होंने पहले तो एक बचकाना सा बहाना देकर बात टालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला है उन्होंने गलत फोन नंबर दिए हुए हैं। जब उन्हे बताया गया कि उक्त व्यक्तियों के मामले में ऐसा नहीं है और इसी नंबर पर पहली डोज के सर्टिफिकेट भी आए हैं। इसके साथ ही उन्हे यह भी बताया गया कि पाँच लोगों ने एक साथ वैक्सीन लगवाई जिसमे दो लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया पर बाकी के तीन लोगों को नहीं किया गया है। इस पर श्योकन्द जवाब देने के बजाय सवाल करने लगे कि "आप बताओ ऐसा क्यू होगा कि दो लोगों को सर्टिफिकेट मिले और बाकी को नहीं"। जब उनसे कहा गया कि साहब इस बात

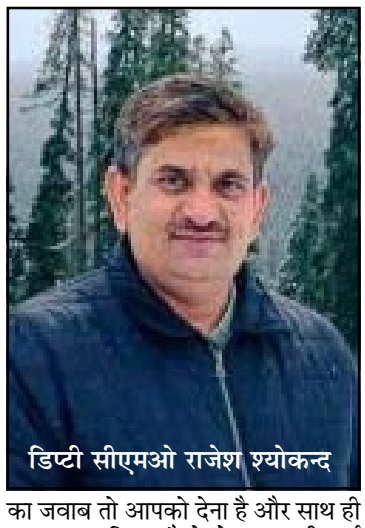
डिप्टी सीएमओ राजेश श्योकन्द

का जवाब तो आपको देना है और साथ ही समस्या का निदान कैसे हो इसका भी मार्ग बताएं। इतना सुनते ही राजेश श्योकन्द ने कहा कि मैं आपसे इतनी देर बात नहीं कर सकता और फोन काट दिया।

शरद नारायण ने बताया कि इसके बाबत उन्होंने वैक्सीन कैम्प में आई बीके की डॉक्टर नरिंदर कौर से संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि क्योंकि दो डोज के बीच में 84 दिन का गैप रखना है तो अब सर्टिफिकेट 84 दिन के बाद मिल सकेगा।

सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सर्टिफिकेट न मिलने के पीछे कारण सरकारी पोर्टल का क्रैश हो जाना है। यह भी पता चला है कि इन एंट्रियां करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं नहीं है।

**बीके अस्पताल के ही एक डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पहले पोर्टल पर 1000 लोगों के नाम अपलोड करने होते थे जिसके तहत पोर्टल ही क्रैश होने लगा और अब उसे घटा कर 200 कर दिया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि 100 नाम भी कोई चढ़ा दे वही बहुत है क्योंकि इन सब कामों के लिए पर्याप्त स्टाफ और इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया गया है।**

कोरोना काल में यह जगजाहिर है कि चिकित्सकों और अन्य मेडिकल स्टाफ पर काम का बोझ इस कदर बढ़ा हुआ है और सरकार आए दिन नए जुमले फेंक कर इन पर और बोझ लाद रही है। कई लोगों का मानना है कि ऐसी महामारी में सर्टिफिकेट लेने की क्या आफत है, पर जिसे विदेश जाना हो उसके लिए इन्ही सरकारों ने सर्टिफिकेट अनिवार्य किया हुआ है। ऐसे में 80 वर्षीय बुजुर्ग कितने धक्के खाए और धक्के खाने पर राजेश श्योकन्द जैसे कामचोर और बदतमीजों से अपनी इज्जत की धज्जियां उतरवाते रहे।


## घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

**आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।**

**अन्य बिक्री केन्द्र :**

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794
6. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
7. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421


# अदालत ने ढींगड़ा को दी अग्रिम जमानत, सीपी के मंसूबों पर फिरा पानी

**गुड़गांव ( ममो ):** आरटीआई योद्धा हरेन्द्र ढींगड़ा से परेशान होकर पुलिस आयुक्त केके राव ने उनके विरूद्ध झूठे मुकदमे दर्ज करने की बाकायदा एक मुहिम चला दी थी और तो और शहर में एक तरह की मुनादी करा दी कि जिस किसी को भी ढींगड़ा से कभी कोई परेशानी रही हो वह पुलिस में आकर एफआईआर दर्ज कराये। जब कोई नहीं आया तो एक अवैध बेंक्वेट मालिक से उनके खिलाफ एक फर्जी शिकायत लेकर थाना सैक्टर-17, एफआईआर नं 160, आईपीसी की धारा 384 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया।

यहां वायुसेना के गोला बारूद डिपो की परिधि में निर्माण कार्य अथवा कोई व्यवसाय न करने वाले कानून की अवहेलना करके संजीव कुमार सुपुत्र बंसत लाल ने एक बेंक्वेट हाल बना रखा है जहां शादियां व अन्य समारोहों का सिलसिला चलता रहता है। संजीव अपनी शिकायत में कहता है कि तीन वर्ष पूर्व ढींगड़ा ने उसके इस अवैध धंधे के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने के एवज में पांच लाख रूपए वसूले थे और अभी 50 लाख की मांग और कर रहा है। माननीय अतिरिक्त सैशन जज फलित शर्मा ने दर्ज शिकायत पर सवाल उठाये कि तीन साल पहले दिये गये 5 लाख पर आज शिकायत क्यों? इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया कि उक्त रकम किस तारीख या किस माह में किस माध्यम से दी गयी थी? आज 50 लाख मांगे जाने का भी कोई वाजिब सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई है। इन्हीं तमाम तथ्यों के आधार पर अदालत ने इनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए यह भी माना है कि पुलिस याचिकाकर्ता के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और उनके व उनके परिवार के विरूद्ध एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं।

विदित है कि इस मुकदमेसे पहले भी पुलिस ने इनके विरूद्ध एक बैंक से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके बिना कोई तफतीश किये उन्हें घर से उठाकर काफी प्रताड़ित करके जेल भेज दिया था। मजे की बात तो यह है कि जिस बैंक से फ्रॉड होने की बात कही गयी है, उसकी ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गयी थी। कोरोना पीड़ित होने के बावजूद ढींगड़ा को जेल में डाल देने के चलते उनका मर्ज पहले भी काफी बढ़ चुका है, उनकी एक आंख की हालत काफी गंभीर है।

गिरफ्तारी के बाद पीड़ित तो जेल में डाल दिया जाता है और पुलिस धड़ाधड़ अपने प्रेस नोट मीडिया में छपवाकर पीड़ित को बदनाम करने में जुट जाती है जबकि पीड़ित का पक्ष कहीं नहीं आ पाता।

## SOS

**आज मजदूर मोर्चा अपने कठिनतम दौर से गुजर रहा है। यदि समय रहते सुधी पाठकों का सहयोग न मिल पाया तो इस निर्भीक एवं जुझारू आवाज का जीवित रहना दूभर हो जायेगा। इसलिये पाठकों से विनम्र निवेदन है कि यथाशक्ति आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें।**

**मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150**

**IFSC Code : UBIN0545112**

**Union Bank of India, Sector-7, Faridabad**